पत्रांक :–01/स्था० (प्रो०)–10–06/2019 –

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

मुख्य अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची

सभी अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक :–

विषयः–जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अभियंताओं के वार्षिक उपलब्धि– आकलन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) के Online अभिलेखन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–2950 दिनांक 12.09.2019 के संबंध में कहना है कि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अभियंता एवं जल संसाधन विभाग के अभियंता जो बाह्य विभाग में कार्यरत हैं, का वार्षिक उपलब्धि–आकलन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) के Online अभिलेखन हेतु समय सीमा निर्धारित की गई थी।

समीक्षोपरांत यह पाया गया है कि अभी तक मात्र 51 अभियंताओं द्वारा अपना वार्षिक उपलब्धि आकलन प्रतिवेदन का अभिलेखन किया गया है।

अन्य अभियंताओं द्वारा इसे अभिलिखित करने में उदासीनता बरती जा रही है, जो काफी गंभीर विषय है।

वार्षिक उपलब्धि–आकलन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) का ससमय अभिलेखित कराना संबंधित सभी मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता की जिम्मेवारी है। इसके लिए दिनांक 31.12.2019 तक अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है। इस तिथि तक सभी अभियंता द्वारा अपना वार्षिक उपलब्धि–आकलन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) का अभिलेखन अचूक रूप से किया जाना है अन्यथा इसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 31.12.2019 तक अपने प्रक्षेत्र/ अंचल के अंतर्गत कार्यरत अभियंताओं एवं स्वयं का वार्षिक उपलब्धि–आकलन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) अभिलिखित कराना एवं करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

G:\PRAMOD-2019\DY. SEC\Annual Performance Appraisal Report\All CE Yearly Report.docx

ज्ञापांक :–   रॉंची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, रॉंची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निर्माण निगम लि॰, रॉंची/उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड रॉंची/ उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड रॉंची/ उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉंची/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी), झारखण्ड रॉंची/ उप सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड रॉंची/ उप सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉंची/ उप सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्उ रॉंची को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने बोर्ड/ विभाग के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के कार्यरत अभियंताओं का वार्षिक उपलब्धि–आकलन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) अभिलेखन कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह०/–
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 7582   रॉंची, दिनांक :– 20.12.19

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/12/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

G:\PRAMOD-2019\DY. SEC\Annual Performane Appraisal Report\All CE Yearly Report.docx